[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥ खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

आयकर

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली दिनांक 23 जून,2017

सा.का.नि. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या 48/2017, दिनांक 08 जून,2017, जिसे सा.का.नि.561(अ) दिनांक 08 जून,2017 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग॥ खण्ड 3 उपखण्ड(i) में प्रकाशित किया गया था के पृष्ठ 8 पर फार्म संख्या 26क्यू सी में,-

मुख्य शीर्ष कोड*	2	0

"के स्थान पर"

मुख्य शीर्ष कोड*		

[अधिसूचना संख्या 56/2017 (फा.सं. 370142/16/2017-टीपीएल)]

लक्ष्मी नारायण

(लक्ष्मी नारायण)

अवर सचिव (टीपीएल)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

Notification

New Delhi, 27th June, 2017

G.S.R. (E).—In exercise of the powers conferred by section 139A and section 139AA, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income –tax (17th Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force from the 1st day of July, 2017.

2. In the Income-tax Rules, 1962,-

I. in rule 114, for sub-rule (5), following shall be substituted, namely:-

"(5) Every person who has been allotted permanent account number as on the 1st day of July, 2017 and who in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 139AA is required to intimate his Aadhaar number, shall intimate his Aadhaar number to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director- General of Income-tax (Systems) or the person authorised by the said authorities.

(6) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director- General of Income-tax (Systems) shall specify the formats and standards alongwith procedure, for the verification of documents filed with the application under sub-rule (4) or intimation of Aadhaar number in sub-rule (5), for ensuring secure capture and transmission of data in such format and standards and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing of the application forms for allotment of permanent account number and intimation of Aadhaar number";

II. in Appendix II, in Form No. 49A,-

(i) for Column number 12 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

"12. In case of a person, who is required to quote Aadhaar number or the Enrolment ID of Aadhaar application form as per section 139AA,-

Please mention your AADHAAR number (if allotted): ____________

If AADHAAR number is not allotted, please mention the Enrolment ID of Aadhaar application form: ____________

Name as per AADHAAR letter or card or as per the Enrolment ID of Aadhaar application form:"

(ii) in column number 15, in heading, for the words, brackets and letters, "Documents submitted as Proof of Identity (POI) and Proof of Address (POA)" the words, brackets and letters "Documents submitted as Proof of Identity (POI), Proof of Address (POA) and Proof of date of Birth (POB)" shall be substituted.

[Notification No.56/2017/F.No. 370142/40/2016-TPL]

Salil Mishra
23/06/17

[Salil Mishra]
Director(Tax Policy & Legislation)

Note:- (1) The principal rules were published *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (16th Amendment) Rules, 2017 *vide* notification number S.O. 1927(E), dated the 16th June, 2017.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27th जून, 2017

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क और धारा 139कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर(सत्रहवाँ संशोधन) नियम, 2017 है ।
   (2) ये 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-करनियम, 1962 में,-
   I. नियम 114 के उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
   "(5) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे 1 जुलाई 2017 को स्थायी लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है और जिससे धारा 139कक की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार आधार संख्यांक सूचित करने की अपेक्षा है, प्रमुख आय-कर महा-निदेशक (तंत्र) या आय-कर महा-निदेशक (तंत्र) या उक्त प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को अपना आधार संख्यांक सूचित करेगा ।
   (6) प्रमुख आय-कर महा-निदेशक (तंत्र) या आय-कर महा-निदेशक (तंत्र) उप नियम (4) के अधीन आवेदन के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए या उप नियम (5) में आधार संख्यांक सूचित करने के लिए, रूप विधान और मानकों में डाटा में सुरक्षित संचय और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और स्थायी लेखा संख्यांक के आबंटन और आधार संख्यांक सूचित करने के लिए आवेदन प्ररूप देने के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनः प्राप्ति नीतियां विकसित और क्रियान्वित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ; "

   II. परिशिष्ट II के प्ररूप सं. 49क में,-
   (i) स्तंभ 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

   "12. किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिससे धारा 139कक के अनुसार आधार संख्यांक या आधार आवेदन प्रारूप की नामांकन पहचान संख्यांक अंकित करने की अपेक्षा है,-

कृपया अपने आधार संख्यांक का उल्लेख करें, (यदि आबंटित हुआ है) :

यदि आधार संख्यांक आबंटित नहीं हुआ है तो आधार आवेदन प्रारूप के नामांकन पहचान संख्यांक का उल्लेख करें :

आधार पत्र या कार्ड के अनुसार या आधार आवेदन प्रारूप के नामांकन पहचान के अनुसार नाम :"

(ii) स्तंभ संख्या 15 के शीर्ष में "पहचान के सबूत (पीओआई) और पते के सबूत (पीओए) के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "पहचान के सबूत (पीओआई) और पते के सबूत (पीओए) और जन्म की तारीख के सबूत (पीओबी) के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

[अधिसूचना सं.55/2017/एफ सं.370142/40/2016-टीपीएल]

(सलिल मिश्रा)
निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण - मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ.सं. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित के गए थे और अधिसूचना संख्याकं का.आ.1927(अ) तारीख, 16 जून 2017 द्वारा आय-कर (16 संशोधन) नियम, 2017 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।